भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2205

दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबीडीएम योजना में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता

†2205. श्री राहुल कस्वां:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका के होते हुए भी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) में उन्हें मात्र सात प्रतिशत के अल्प दर पर अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) एबीडीएम डिजिटल अवसंरचना के साथ एकीकरण में छोटे निजी सेवा प्रदाताओं के सामने आने वाली वित्तीय और परिचालन संबंधी चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में अधिक सहभागिता के लिए निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का निजी सेवा प्रदाताओं में विश्वास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए उनकी विशिष्ट अंतर-संचालन और डेटा गोपनीयता संबंधी समस्याओं को दूर करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारत सरकार द्वारा सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का शुभारंभ एक एकीकृत, नागरिक-केंद्रित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में सहयोग देने के लिए किया गया था। शुभारंभ के बाद प्रारंभिक चरण में, मिशन ने मुख्य रूप से आवश्यक तकनीकी बिल्डिंग ब्लॉक संरचनाओं, जैसे डिजिटल गेटवे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्ट्रियों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र में स्वास्थ्य सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान और परस्पर संचालन सुनिश्चित हो सके। इसके बाद सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य क्षेत्रों द्वारा इसे उत्तरोत्तर अपनाया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि एबीडीएम के अंतर्गत अपनाना स्वैच्छिक है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर और व्यापक प्रयास किए गए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्र में एबीडीएम को अपनाने में लगातार वृद्धि हो रही है।

छोटे निजी स्वास्थ्य केंद्रों परिचर्या सुविधा को मैनुअल संचालन से डिजिटल कार्यप्रणाली में परिवर्तन के लिए आवश्यक हार्डवेयर और एबीडीएम-सक्षम सॉफ्टवेयर प्राप्त करना अपेक्षित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श और सहयोग से, अधिक से अधिक निजी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों को एबीडीएम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत लाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। इनमें त्वरित पंजीकरण और आसान भुगतान के लिए प्रयुक्त मामलों का विकास, निजी क्षेत्र द्वारा इसके अपनाने को बढ़ाने पर केंद्रित 'माइक्रोसाइट्स' कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों और डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी कंपनियों को डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड सृजित करके के लिए प्रोत्साहित करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (डीएचआईएस) शामिल हैं।

एबीडीएम डिजाइन द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित करता है, जिसके तहत स्वास्थ्य डेटा का आदान-प्रदान एबीडीएम नेटवर्क पर संबंधित हितधारकों के बीच रोगी की सहमति के बाद ही होता है। साथ ही, स्वास्थ्य डेटा का कोई केंद्रीकृत भंडार नहीं है। ये सभी उपाय मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि अंतर संचालनीयता से नागरिकों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से समझौता न हो। एबीडीएम चिकित्सा सम्मेलनों, प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों आदि जैसे आयोजनों में भाग लेकर एबीएचए के लाभों और उपरोक्त गोपनीयता संरक्षण उपायों के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और संस्थानों, जिनमें निजी क्षेत्र भी शामिल है, के बीच जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, जिससे एबीएचए के निर्माण और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी निजी क्षेत्र सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवा हितधारकों के बीच इसे अपनाने को बढ़ावा देने के लिए लक्षित सूचना शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां और क्षमता निर्माण कार्य करते हैं।

******